

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड - 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/24/2012-अ.भा.से.-111

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितंबर 2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, तमिलनाडु संवर्ग में सम्मिलित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)	बैंच	स्थायी करने की तारीख
1	भजीभाकरे रोहिणी रामदास	2008	01/09/2010
2	चाहान सज्जनसिंह राम सिंह	2008	01/09/2010
3	मरियम फर्जाना सादिक	2008	01/09/2010


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)